न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— मुन्नीराम बागड़िया
(आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :— 18/2017

श्री गंगानाथ जी महाराज तपस्वी खण्डेश्वरी आश्रम ग्राम बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं
—अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनूं
—रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार बुहाना उनवानी मुकदमा सरकार बनाम श्री गंगानाथ जी महाराज मु0न0 105/2016 निर्णय दिनांक 26.10.2016 अ0 धारा 91 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : —
1. श्री सुभाषचन्द्र, एडवोकेट — अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण सैनी, एडवोकेट — रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय — दिनांक :— 27.09.2017

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 26.10.2016 उनवानी सरकार बनाम श्री गंगानाथ मु.न. 105/2016 अ.धा. 91 राज. भू—राज. अधि. 1956 न्यायालय तहसीलदार बुहाना के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के सक्षम एक गलत रिपोर्ट भूमि ख0न0 2322 गै0मु0 जोहड़ के तथाकथित 5.00 है0 भूमि पर अपीलान्ट का चारदीवारी व मन्दिर निर्माण कर अतिक्रमण करने पर बाबत गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी इसी रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने यह भी वर्णित किया है कि मन्दिर 500 वर्ष पुराना है इसी प्रकार पटवारी हल्का ने एक तरफ मन्दिर निर्माण पर अतिक्रमण की रिपोर्ट की है व दूसरी तरफ मन्दिर 500 वर्ष पुराना होना बताया है इस प्रकार पटवारी हल्का की रिपोर्ट से ही यह प्रमाणित है कि अपीलान्ट के द्वारा मन्दिर निमार्ण नही करवाया गया है। गलत रिपोर्ट पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच किये ही अपीलान्ट को अकिमी मानकर बेदखली का आदेश देने में कानूनी भूल की है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट की ओर से यह स्पष्ट जबाब देही रही है कि अपीलान्ट ने भूमि ख0न0 2322 के 5.00 है0 पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नही किया है अपीलान्ट तपस्वी

उक्त बणी में 500 वर्ष पुराने मन्दिर में अपीलान्ट जन कल्याण के लिये पिछले 25 वर्ष से अन्य तपस्वीयों के साथ तपस्याकर रहा है। अपीलान्ट साधु सन्यासी है इस कारण उसे किसी प्रकार की सम्पति या समाज से मोह नही होता है न उसाका स्थायी निवास या स्थान होता है। अपीलान्ट जनकल्याण के लिये सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या व साधना करता है मन्दिर व अन्य निर्माण धार्मिक स्थल हैं जासे काफी पुराना है जो कसी व्यक्ति विशेष का नही होकर सम्पूर्ण मानव जागत की धरोहर है अपीलान्ट को न तो अतिक्रमण का इरादा रहा व न ही ऐसी कोई मन्शा रही है। अपीलान्ट के तपस्या स्थल पर सार्वजनिक गौशाला बनी हुई है जिसमें स्थित गायों की सार–सभाल व सेवा अपीलान्ट तथा गोपालको द्वारा की जाती है गौशाला में सैकडों गाये है जिनका राज्य सरकार से मुवाअजा मिलता है इस कारण वह अतिक्रमण की तारीफ में नही आता है पटवारी हल्का ने अतिक्रमण की रिपोर्ट व चरी जवार उगाने की रिपोर्ट गलत पेश की है अपीलान्ट द्वारा कोई भी फसल नही उगाई जाती है बल्कि गौशाला के लिये भामाशाओं द्वारा हरा व सुखा चारा अनाज आदि डाला जाता है। इसके अलावा आश्रम के आस–पास पक्षीयों के लिए दाना डाला जाता है। जो दाना शेष बच जाता है व बारिस के मौसम में उगकर फसल का रूप लेता है। इससें अपीलान्ट को कोई भी संबंध नही है। अपीलान्ट द्वारा कोई नया निर्माण कर अतिक्रमण नही किया गया है बल्कि निर्माण बहुत पुराना बना हुआ है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.10.2016 की अपीलान्ट को पुर्व में कोई जानकारी नही थी दिनांक 11.'03.2017 को अपीलान्ट ने होली पर्व पर आये *ग्रामवासियों व गोपालको से आश्रम में सुना कि उनके विरूद्ध कोई आदेश हो गया जिसकी पालना* करवाई जावेगी इस पर अपीलान्ट पटवारी हल्का से मिला तो उन्होने भी ऐसा ही बताया इस पर होली का अवकाश समाप्ता होने के पश्चात अपीलान्ट द्वारा दिनांक 14.03.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में जानकारी की तो आधी अधूरी जानकारी हुई उसी दिन अपीलान्ट द्वारा नकल दरख्वास्त दी गई जो तैयार होकर दिनांक 15.03.2017 को अपीलान्ट को मिली उक्त नकल को पढवाने के बाद अपीलान्ट को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी हुई इससे पूर्व कोई भी जानकारी नही थी जानकारी होते ही वकील नियुक्त कर तुरन्त अपील अन्दर मियाद पेश है फिर भी किसी कारण से अपील अन्दर मियाद नही मानी जाती है तो धारा 5 मियाद अधिनियम का फायदा दिया जाकर अपील अन्दर मियाद समाआत फरमाई जावें। अन्त में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय योग्य अदालत मातहत तहसीलदार बुहाना का निर्णय दिनांक 26.10.2016 को निरस्त फरमाव जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दौहराया एंव कथन किया कि भूमि ख0न0 2322 गै0मु0 जोहड़ के तथाकथित 5.00 है0 भूमि पर अपीलान्ट का चारदीवारी व मन्दिर निर्माण कर अतिक्रमण करने पर बाबत गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी इसी रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने यह भी वर्णित किया है कि मन्दिर 500 वर्ष पुराना है इसी प्रकार पटवारी हल्का ने एक तरफ मन्दिर निर्माण पर अतिक्रमण की रिपोर्ट की है व दूसरी तरफ मन्दिर 500 वर्ष पुराना होना बताया है इस प्रकार पटवारी हल्का की रिपोर्ट से ही यह प्रमाणित है कि अपीलान्ट के द्वारा मन्दिर निमार्ण नही करवाया गया है। गलत रिपोर्ट पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच किये ही अपीलान्ट को अक्रिमी मानकर बेदखली का आदेश देने में कानूनी भूल की है। अपीलान्ट द्वारा कोई भी फसल नही उगाई जाती है बल्कि गौशाला के लिये भामाशाओं द्वारा हरा व सुखा चारा अनाज आदि डाला जाता है। इसके अलावा आश्रम के आस–पास पक्षीयों के लिए दाना डाला जाता है। जो दाना शेष बच जाता है व बारिस के मौसम में उगकर फसल का रूप लेता है। इससें अपीलान्ट को कोई भी संबंध नही है। अपीलान्ट द्वारा कोई नया निर्माण कर अतिक्रमण नही किया गया है बल्कि निर्माण बहुत पुराना बना हुआ है। अन्त में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.10.2016 खारिज होने योग्य है।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा अपीलान्ट द्वारा भूमि ख0न0 2322 कुल रकबा 699.83 गै0मु0 जोहड़ 5.00 है0 पर निर्माण करके अतिक्रमी ने अवैध रूप से अतिक्रमण किया है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विधिसमत कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज होने योग्य है।

मैंने पत्रावली एंव मिसल मातहत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर उनका काफी पुराना कब्जा है। प्रकरण नियमन योग्य है। पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में यह वर्णित किया है कि मन्दिर 500 वर्ष पुराना है। इसी प्रकार हल्का पटवारी ने एक तरफ मन्दिर निर्माण पर अतिकमण की रिपोर्ट की है तथा दूसरी तरफ मन्दिर 500 वर्ष पुराना होना बताया है जो विरोधाभाषी तथ्य हैं। तहसीलदार बुहाना ने अपने निर्णय में पुराने कब्जे व मंदिर के संबंध में कोई विवेचना नहीं की है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार बुहाना के निर्णय दिनांक 26.10.2016 प्रकरण संख्या 105/2016 सरकार बनाम गंगानाथ को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बुहाना को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार बुहाना स्वयं मौका निरीक्षण कर राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनःविधिसम्मत निर्णय पारित करें अगर मंदिर वर्षों पुराना पाया जाता है तो मंदिर भूमि के अलावा अन्य अतिकमित भूमि के संबंध में विधिसम्मत कार्यवाही करें। मिसल मातहत अदालत आदेश की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अति0 जिला कलक्टर
झुंझुनूं

निर्णय आज दिनांक 27.09.2017. को मेरे द्वारा अलग से टकिंत करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अति0 जिला कलक्टर
झुंझुनूं